भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं 57/2020-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2020

सा॰ का॰नि॰............ (अ)- सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की शिफ़ारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं॰ 76/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 31 दिसम्बर 2018, जिसे सा.का.नि. 1253 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् -

उक्त अधिसूचना के तीसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुकों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"परंतु यह भी कि उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो कि उक्त परंतुक में निर्दिष्ट तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किए गए है, जो उक्त तालिका के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट कर अवधि के लिए उक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लिखित शर्त के अधीन विवरणी प्रस्तुत नहीं करते है, लेकिन उक्त विवरणी को सितंबर, 2020 के 30वें दिन तक प्रस्तुत करते

हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलंभ फीस को दो सौ पचास रुपये से अधिक अधित्यक्त किया जाता है, और उन करदाताओं के लिए देय विलंभ फीस को पूरी तरह से अधित्यक्त किया जाता है जहाँ कुल देय केन्द्रीय कर कि राशि शून्य है:

परंतु यह भी कि उन करदाताओं के लिए जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक है, जो कि नियत तारीख तक मई, 2020 से जुलाई, 2020 माह के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन उक्त विवरणी को सितंबर, 2020 के 30वें दिन तक प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलंभ फीस को दो सौ पचास रुपये से अधिक अधित्यक्त किया जाता है, और उन करदाताओं के लिए देय विलंभ फीस को पूरी तरह से अधित्यक्त किया जाता है जहाँ कुल देय केन्द्रीय कर कि राशि शून्य है।"।

2. यह अधिसूचना 25 जून 2020 से प्रभावी हुई समझी जाएगी ।

[फ॰ सं॰ सीबीईसी-20/06/08/2020-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं॰ 76/2018- केन्द्रीय कर, दिनांक 31 दिसम्बर, 2018, जो सा.का.नि. 1253 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और जिसका आखिरी बार संशोधन अधिसूचना सं. 52/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 24 जून, 2020 द्वारा किया गया था, जो सा.का.नि. 405(अ), दिनांक 24 जून, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था ।